दिनांक 22.08.2020
प्रेस विज्ञप्ति 28/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से नार्दन रीजनल पुलिस को–आर्डिनेशन कमेटी की बैठक सम्पन्न

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2020 को नार्दन रीजनल पुलिस को–आर्डिनेशन कमेटी की ऑनलाइन वीडियों कांफ्रेसिंग एन0आई0सी के माध्यम से पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार में की गयी। वीडियों कांफ्रेसिंग में कोविड–19 के दृष्टिगत निर्गत गाइड लाइन्स का अनुपालन किया गया।

बैठक में 08 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखण्ड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली एवं 12 केन्द्रीय पुलिस इकाई/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यरूप से पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, उत्तराखण्ड, निदेशक एनसीआरबी दिल्ली, अपर पुलिस महानिदेशक बीपीआरएण्डडी, स्पेशल सीपी दिल्ली सहित पुलिस महानिरीक्षक स्तर के एवं केन्द्रीय पुलिस इकाई/बल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नार्दन रीजनल पुलिस को–आर्डिनेशन कमेटी की बैठक में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया एवं अपने विचार व्यक्त किये गये।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा बैठक में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभागियों को सम्बोधित किया गया। उक्त बैठक में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गयाः–

- विभिन्न प्रकार के अपराधों एवं कानून–व्यवस्था के नियंत्रण करने के लिए राज्य के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना।
- विभिन्न राज्यों में की जाने वाली गुड प्रैक्टिस्स जो अन्य राज्यों में भी अपराध नियंत्रण एवं कानून–व्यवस्था के दृष्टिगत लाभदायक सिद्ध हो सकती है, के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी।

- राज्य तथा विभिन्न पुलिस संगठनों के अधिकारियों के मध्य विभिन्न प्रकार के अपराधों के प्रभावी नियंत्रण हेतु विचार–विमर्श करते हुए उनसे इस सम्बन्ध में सुझाव भी मांगे गये तथा भविष्य में समन्वय स्थापित कर आपस में सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जाना।
- राज्यों के बीच अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु आपस में असूचनाओं का आदान–प्रदान एवं अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु समन्वय स्थापित करना।

NORTHERN REGIONAL POLICE
CO-ORDINATION COMMITTEE
MEETING
(VIRTUAL CONFERENCE)
Date : 22.08.2020
Hosted By: DGP U.P.

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत की गयी कार्यवाही का विवरण

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को शासन द्वारा प्रदेश भर में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने के क्रम में निर्देश दिये गये है।

उक्त क्रम में अब तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:–

- चालान किये गये वाहनों की संख्या – 3461711
- सीज किये गये वाहनों की संख्या – 69038
- वसूले गये शमन शुल्क की धनराशि **रू0** – **66,91,70,404**
- धारा 188 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोगों की संख्या – 196770
- ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की संख्या – 807

एसटीएफ : एसटीएफ, उ0प्र0 ने जनपद लखनऊ व बाराबंकी में चिप व रिमोट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक तराजू (Electronic Weighing Machine) में टैम्परिंग (Tampering) कर घटतौली करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश।

दिनॉकः 21/22–08–2020 की रात्रि में एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद जनपद लखनऊ व बाराबंकी में चिप व रिमोट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक तराजू (Electronic Weighing Machine) में टैम्परिंग (Tampring) से घटतौली करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 05 अभियुक्तों को मय उपकरण गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. हरमीत सिंह उर्फ प्रीत पुत्र हरदेव सिंह नि0 गोविन्दपुर, बिलासपुर, रामपुर। हाल पता कनक सिटी राजाजीपुरम इन्दिरानगर, लखनऊ।
2. रामकिशन पुत्र लल्लु प्रसाद नि0 लीला खेडा, हसनगंज, उन्नाव।
3. राम विलास साहू पुत्र स्व0 छेदी खेडा, नि0 अमवामर्तुजापुर, थाना–नगराम, लखनऊ।
4. लाल बहादुर पुत्र चेतराम नि0 नि0 अमवामर्तुजापुर, थाना–नगराम, लखनऊ।
5. दिनेश उपाध्याय उर्फ दीनानाथ उपाध्याय, नि0 मकान नं0 355/356 जोशीटोला, विराहना थाना नाका जनपद लखनऊ।

बरामदगीः

1. इलेक्ट्रानिक्स भारतोलक मशीन
2. 02 अदद कूटरचित डिवाइस।
3. 03 अदद रिमोट।
4. 29 अदद सरकारी मोहर लगी एल्यूमिनियम प्लेट।
5. 04 अदद ट्रान्सफार्मर।
6. 02 अदद बैट्री।
7. 05 अदद कीपैड।
8. 01 अदद मदरबोर्ड।
9. 02 अदद बिल बुक।
10. रू0 21,650/– नगद।

विगत कुछ दिनो से एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रानिक तराजू (Electronic Weighing Machine) में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर उसे रिमोट से संचालित कर घटतौली करना तथा साथ ही बड़े स्तर पर ऐसी इलेक्ट्रानिक तराजू प्रयोग किया जाना जिनमें मशीन के अन्दर ही डबल सेटिंग की क्षमता (Capability) होती है। ऐसी मशीनों में एक गोपनीय बटन (Key) को दबाने से अपने इच्छा अनुसार सही तौल अथवा घटतौली हेतु सेट किया जा सकता है। इस प्रकार से अवैध धन्धा करने व भारी अवैध लाभ अर्जित करने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में श्री अमिताभ यश, पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 व श्री विशाल विक्रम सिंह, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ ने एस0टी0एफ0 के सभी अधिकारियों को अभिसूचना संकलित करने के निर्देश दिये थे। इसी क्रम में श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ के नेतृत्व में टीम गठित कर इस विषय में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अभिसूचना संकलन के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि बड़े स्तर पर संगठित गिरोह बनाकर इलेक्ट्रॉनिक तराजू में एक ऐसी चिप लगा रहे हैं, जिससे किसी वस्तु के वजन को उसके वास्तविक वजन से कम अथवा ज्यादा अपनी इच्छा अनुसार मशीन के डिस्प्ले पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इस अभिसूचना को और अधिक विकसित कर कार्यवाही करने के लिए मुख्य आरक्षी राजेश मौर्या द्वारा अत्यन्त परिश्रमपूर्वक कार्य करते हुए एक ऐसे गिरोहों को चिन्हित किया गया, जो ऐसी इलेक्ट्रानिक तराजू बेचने, चिप व रिमोट लगाने आदि का कार्य करते है। टीम ने जमीनी स्तर पर प्राप्त सूचनाओं को विकसित करते हुए इन संदिग्ध गिरोहों के आवागमन, बैठने के ठिकाने तथा इनके सम्पर्की जहॉ पर इन लोगों द्वारा इलेक्ट्रानिक मशीनों (इलेक्ट्रानिक तराजू) में चिप लगाकर ऐसा कार्य किया जाता है का पूरा विवरण इकट्ठा किया। पुलिस उपाधीक्षक श्री अमित नागर ने जमीनी सूचना का सत्यापन किया और आगे की कार्यवाही की योजना तैयार की। जिसमें मु0आ0 अंजनी यादव को सूचना मिली कि उपरोक्त में से एक गिरोह दिनांक 21.08.2020 को इसी प्रकार की इलेक्ट्रानिक तराजूओं को बेचने/पुरानी लगी हुई मशीनों की मरम्मत

आदि करने थाना नगराम क्षेत्र लखनऊ व थाना लोनीकटरा क्षेत्र, बाराबंकी में पहुचेगा जहां उनको ऐसी चिपों के साथ रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है।

उपरोक्त सूचना पर श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ व अपर नगर मजिस्ट्रेट—06, लखनऊ निरीक्षक ज्ञानेन्द्र राय, उ0नि0 विनोद कुमार सिंह, उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह की एक टीम को साथ लेकर मुखबिर के बताये हुए सूचना पर थाना नगराम क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया गया तथा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मुखबिर के बताये अनुसार ग्राम अमवामुर्तजापुर में लालबहादुर के गल्ले की दूकान पर पहुचे जहॉ चार व्यक्ति इलेक्ट्रिानिक मशीन, चिप रिमोट व इन्हे लगाने के अन्य उपकरण के साथ मौजूद मिले। इन मशीनों को चलवाकर देखा गया तो पाया गया कि यह घटतौली करने हेतु चिप इनके अन्दर फिट है तथा गोपनीय रूप से रिमोट द्वारा संचालित हो रही है जिस पर सभी को समस्त उपरकण सहित गिरफ्तार कर थाना नगराम, जनपद लखनऊ पर आवश्यक विविध कार्यवाही हेतु ले जाया गया, जहॉ पर मु0अ0सं0 136/2020 धारा 420, 467, 468, 471,475, 476 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

इसी प्रकार उ0नि0 शिवनेत्र सिंह व उ0नि0 मनोज सिंह की एक टीम जनपद बाराबंकी के लिए रवाना की गयी। कार्यकारी मजिस्ट्रेट व स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मुखबिर के बताये अनुसार ग्राम गौरवा उस्मानपुर में बैजनाथ किसान इन्टर कालेज के पास दिनेश उपाध्याय नाम का एक व्यक्ति मिला जिसकी तलाशी पर जिसके पास से इलेक्ट्रानिक तराजू में लगने वाली चिप, रिमोट लगाने सम्बन्धित औजार आदि मिले तथा पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि वह घटतौली हेतु मशीनों की विक्री मरम्मत एवं ऐसी चिप व रिमोट का काम करता है तथा उसके द्वारा उस क्षेत्र में कई मशीने लगायी गयी है। उसकी निशानदेही पर मो0 हसन व मो0 लल्लन की दूकान पर इलेक्ट्रानिक तराजुओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें घटतौली करने हेतु चिप व रिमोट से संचालित होना पाया गया, जिस पर इन्हे गिरफ्तार कर आवश्यक

विधिक कार्यवाही हेतु थाना लोनीकटरा, जनपद बाराबंकी जे जाया गया, जहॉ पर मु0अ0सं0 213/2020 धारा 420, 467, 468, 471,475, 476 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस धन्धे में जुड़े है क्योकि इस प्रकार घटतौली करने वाली इलेक्ट्रानिक तराजू की मांग अत्यधिक है। इन इलेक्ट्रानिक तराजूओं की प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड में ही इस प्रकार की प्रोग्रामिंग की जाती है कि वह कैलिब्रेशन करने पर 02 अलग–अलग मानक पर सेट हो जाती है। जिसको गोपनीय बटन या रिमोट की सहायता से चुपके से कुछ क्षण में ही एक मानक से दूसरे मानक पर परिवर्तित किया जा सकता है। जब किसी ग्राहक को कोई आशंका होती है और वह लोहे के बाट से अपने समक्ष इलेक्ट्रानिक तराजू का सत्यापन करने को कहता है तो इलेक्ट्रानिक मशीन मालिक उपरोक्त बताये हुए तरीके से क्षण भर में उसे एक्यूरेट मानक पर सेट कर देते है जिससे वह रखे हुए लोहे के वाट का सही वजन बताती है और जिससे ग्राहक सन्तुष्ट हो जाता है। फिर पल भर में ही वह रिमोट अथवा इलेक्ट्रानिक तराजू में मौजूद गोपनीय बटन से इसको फिर से घटतौली हेतु सेट कर देते है तथा मनचाही घटतौली कर लेते है। ऐसा करने से घटतौली करने वाले को भारी मुनाफा होता है तथा वह मार्केट में अधिक डिस्काउण्ट पर अपनी सामानों की खरीद फरोख्त करता है। जिसके परिणामस्वरूप इमानदार व्यक्ति मार्केट में जनता द्वारा उपेक्षित हो जाते है। क्योंकि उन्हे ऐसा लगता है कि यह लोग मंहगा सामान बेचते है। इस मजबूरी के कारण अधिक से अधिक लोग ऐसी चिप वाली मशीनों को हम जैसे लोगों से खरीद रहें है।

अभियुक्तों के अनुसार बाजारों में ऐसी घटतौली करने वाली इलेक्ट्रानिक तराजूओं की संख्या सही तराजू से अधिक हो गयी है। जोकि धर्मकाटों, लोहा मंडियों गल्ला मंडियों आदि अन्य लगभग सभी जगह लगवायी जा रही है। अभियुक्तों के बताये उपरोक्त तथ्यों का एसटीएफ के द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। जिसके उपरान्त अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बरेली/थाना शाही

- **पुलिस कार्यवाही में 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 लाख रू0 नकद**
- **लूट के सोने के आभूषण लगभग 11 तोला**
- **लूट के चांदी के आभूषण लगभग 08 किलो 600 ग्राम**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **लूट की घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 21/22.08.2020 की रात्रि थाना शाही व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम सोरहा की तरफ से आ रही मोटर साइकिल पर सवार 03 व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में आरक्षी विनीत कुमार घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1.जगपाल, 2.विपतुल घायल हो गये, जिन्हें 01 अन्य बदमाश 3.दिनेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के क्रम में बदमाशों को सहयोग प्रदान करने वाले 4.नन्हे, 5.छत्रपाल को भी गिरफ्तार किया गया। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 02 लाख रू0 नकद, लूट के सोने के आभूषण लगभग 11 तोला व चांदी के आभूषण लगभग 08 किलो 600 ग्राम, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 03 खोखा कारतूस, लूट की घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.07.2020 की शाम सर्राफ के साथ 03 अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शाही पर मु0अ0सं0 257/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। बरामद नकदी व आभूषण उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनमें अभियुक्त विपुल के विरूद्ध जनपद शाहजहाँपर, बरेली के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त जगपाल के विरूद्ध

जनपद शाहजहाँपुर व बरेली के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, हत्या व आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त दिनेश के विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर व बरेली के विभिन्न थानों में लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शाही पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. दिनेश कुमार निवासी ग्राम इश्वरा थाना कटरा जनपद शाहजहाँपर हाल निवासी सिंह कालोनी कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।
2. विपुल निवासी ग्राम गुरगावां थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।
3. जगपाल निवासी ग्राम प्रह्लादपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।
4. छत्रपाल निवासी ग्राम ठिरिया खुर्द थाना मीरगंज जनपद बरेली।
5. नन्हे निवासी ग्राम ठिरिया खुर्द थाना मीरगंज जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1. लूट के 02 लाख रू0 नकद
2. लूट के सोने के आभूषण लगभग 11 तोला
3. लूट के चांदी के आभूषण लगभग 08 किलो 600 ग्राम
4. 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 03 खोखा कारतूस
5. लूट की मोटर साइकिल आदि

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–3</u>

- **फेन्चाइजी देने के नाम पर ठगी करने वाले 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **13 लाख 54 हजार 550 रू0 नकद**
- **03 किलो 330 ग्राम सोने के बिस्किट व गहने**
- **242 ग्राम चांदी के सिक्के व गहने**
- **05 चार पहिया वाहन**
- **63 लैपटॉप**
- **27 मोबाइल फोन**
- **04 एलईडी आदि बरामद**

दिनांक 21.08.2020 की सांय थाना फेस–3 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना फेस–3 क्षेत्रान्तर्गत 04 शातिर अभियुक्तों 1.अंकुर उर्फ सोनू उर्फ छोटू उर्फ अजय, 2.सुनील, 3.रविन्द्र, 4.सुनील को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर 13 लाख 54 हजार 550 रू0 नकद, 03 किलो 330 ग्राम सोने के बिस्किट व गहने, 242 ग्राम चांदी के सिक्के व गहने, 05 चार पहिया वाहन, 63 लैपटॉप, 27 मोबाइल फोन, 04 एलईडी आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो फ्रेन्चाइजी देने के नाम पर लोगी से ठगी करते हैं, जिनके विरूद्ध फेस—3 पर मु0अ0सं0 546/2020 धारा 420/406/467/468/471 भादवि, 2.मु0अ0सं0 562/2020 धारा 420/406/467/468/471/504/506 भादवि, 3.मु0अ0सं0 563/2020 धारा 420/406/ 467/ 468/471/506 भादवि, 4.मु0अ0सं0 564/2020 धारा 420/406/467/468/471/506 भादवि, 5.मु0अ0सं0 565/2020 धारा 420/406/467/468/471/भादवि, 6.मु0अ0सं0 570/2020 धारा 420/406/467/ 468/471/504/506 भादवि, 7.मु0अ0सं0 571/2020 धारा 420/406/467/468/471/भादवि, 8.मु0अ0सं0 572/2020 धारा 420/406/467/ 468/471/भादवि में वांछित चल रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. अंकुर उर्फ छोटू उर्फ अजय निवासी क्लाउड 9 इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
2. सुनील निवासी एंजेव मर्करी अहिंसा खण्ड 2 इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
3. रविन्द्र निवासी न्यू करहेड़ा कालोनी निकट एयरफोर्स स्टेशन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।
4. सुनील निवासी शिवपुरम मोहकमपुर थाना टीपीनगर जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1. 13 लाख 54 हजार 550 रू0 नकद
2. 03 किलो 330 ग्राम सोने के बिस्किट व गहने
3. 242 ग्राम चांदी के सिक्के व गहने
4. 05 चार पहिया वाहन
5. 63 लैपटॉप
6. 27 मोबाइल फोन

7. 04 एलईडी

8. 96 चैकबुक, 117 एटीएम कार्ड, 69 पैन कार्ड, 09 आधार कार्ड, 23 मोहरें आदि

जनपद रामपुर/थाना गंज

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध रायफल 315 बोर**
- **01 अवैध बन्दूक 315 बोर**
- **विभिन्न बोर के 16 तमंचे, 06 जीवित, 15 खोखा कारतूस**
- **भारी मात्रा में अधबने तमंचे तथा शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 22.08.2020 को थाना गंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैजनी नानकार प्राईमरी स्कूल के पास खण्डर से घेराबंदी कर अवैध शस्त्र बनाते हुए 04 अभियुक्तों 1.प्रेम, 2.नन्हें, 3.फरीद, 4.आसिम को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर 01 अवैध रायफल 315 बोर, 01 अवैध बन्दूक 315 बोर, 11 अवैध तमंचे 315 बोर, 03 अवैध तमंचे 12 बोर, विभिन्न बोर के 06 जीवित, 15 खोखा कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर बिना ट्रेगर गार्ड के, 01 अवैध तमंचा 315 बोर ट्रेगर व हैमल लगा, 07 नालें 315 बोर, 08 नाल छोटी बड़ी 12 बोर, 05 गुटके 315 बोर नाल एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. प्रेम निवासी ग्राम दलेलनगर थाना टांडा जनपद रामपुर।

2. नन्हे निवासी मण्डियान घोसियो वाली थाना मूंढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

3. फरीद निवासी घेर कलन्दर खां थाना गंज जनपद रामपुर।

4. आसिम निवासी तिमारदास सराय थाना नखासा जनपद सम्भल।

<u>बरामदगी</u>

1. 01 अवैध रायफल 315 बोर
2. 01 अवैध बन्दूक 315 बोर
3. 11 अवैध तमंचे 315 बोर
4. 03 अवैध तमंचे 12 बोर
5. विभिन्न बोर के 06 जीवित, 15 खोखा कारतूस
6. 01 अवैध तमंचा 12 बोर बिना ट्रेगर गार्ड
7. 01 अवैध तमंचा 315 बोर ट्रेगर व हैमल
8. 07 नालें 315 बोर, 08 नाल छोटी बड़ी 12 बोर
9. 05 गुटके 315 बोर नाल
10. अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि

<u>जनपद चन्दौली/थाना चकिया</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 22.08.2020 को थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान चन्द्रावती पहाडी के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी समीर उर्फ सुल्तान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में लूट, हत्या का प्रयास, गुण्डा एक्ट, एनडीपीएस एक्ट

व आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चकिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. समीर उर्फ सुल्तान निवासी बेलावर थाना चकिया जनपद चन्दौली। स्थायी पता ग्राम सुल्तानपुर थाना चैनपुर जनपद भभुआ बिहार।

बरामदगी

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली माधौगढ़

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 22.08.2020 को थाना कोतवाली माधौगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम गोपालपुरा से घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी राजू उर्फ बुद्ध को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना माधौगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 27/2017 धारा 363/366/344/323/506/376(2)(1) 376डी भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. राजू उर्फ बुद्ध निवासी ग्राम ऐदलपुर कस्बा व थाना जालौन जनपद जालौन।

जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 होन्डा सिटी कार आदि बरामद**

दिनांक 22.08.2020 को थाना अमरोहा देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान दरियापुर मार्ग पर होन्डा सिटी कार को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में आरक्षी तरूण तालान घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर अभियुक्त कमल घायल हो गया, जिसे एक अन्य बदमाश नीटू सहित गिरफ्तार किया गया। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 होन्डा सिटी कार, 01 बैग जिसमं यूपी पुलिस की वर्दी, काला जूता, खाकी मोजे, बेल्ट आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि डा0 के अपहरण की घटना के सम्बन्ध में थाना अमरोहा देहात पर मु0अ0सं0 2020/2020 धारा 364/323/342 भादवि पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनमें अभियुक्त कमल के विरूद्ध जनपद रामपुर, अमरोहा, सम्भल, मुरादाबाद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 26 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त नीटू के विरूद्ध जनपद अमरोहा के विभिन्न थानों में अपहरण, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अमरोहा देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. कमल निवासी ग्राम बल्लूपुर थाना साबाद जनपद रामपुर।

2. नीटू निवासी मुन्डी मिलक थाना टाडा जनपद रामपुर।

<u>बरामदगी</u>

1. 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस
2. 01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस
3. 01 होन्डा सिटी कार
4. 01 बैग जिसमें कपड़े आदि

<u>जनपद मेरठ/थाना ब्रह्मपुरी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 21.08.2020 की रात्रि थाना ब्रह्मपुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सरस्वती लोक कॉलोनी वाले मार्ग पर मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर अभियुक्त इंतजार उर्फ भूषण घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानों में चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, सीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना जानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 130/2020 में वांछित चल रहा था।

इस सम्बन्ध में थाना ब्रह्मपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. इंतजार उर्फ भूषण निवासी पूठखास थाना रोहटा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल

जनपद खीरी/थाना कोतवाली सदर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रू0 कीमत की 95 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 22.08.2020 को थाना कोतवाली सदर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान देउवापुर तिराहे से घेराबंदी कर 02 अभियुक्तों 1.अजीज अहमद, 2.अकील अहमद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 20 लाख रू0 कीमत की 95 ग्राम अवैधर स्मैक बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अजीज अहमद निवासी मिरियासी टोला कस्बा व थाना नानपारा जनपद बहराइच।
2. अकील अहमद निवासी मिरियासी टोला कस्बा व थाना नानपारा जनपद बहराइच।

बरामदगी

1. लगभग 20 लाख रू0 कीमत की 95 ग्राम अवैध स्मैक।

जनपद बस्ती/थाना कोतवाली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रू0 कीमत की 672 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 जायलो गाड़ी बरामद**

दिनांक 22.08.2020 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बड़ेबन टोल प्लाजा के पास 02 अभियुक्तों 1.मोहित, 2.बृजपाल को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 05 लाख रू0 कीमत की 672 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, 01 जायलो गाड़ी बरामद हुई।

पूछतॉछ पर बरामद अवैध शराब गैर प्रान्त से लाना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मोहित निवासी हैदरनगर थाना तिताबी जनपद मुजफ्फरनगर।
2. बृजपाल निवासी बिनोली जनपद बागपत।

बरामदगी

1. लगभग 05 लाख रू0 कीमत की 672 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब
2. 01 जायलो गाड़ी

———————